न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.
रेफरेन्स प्रकरण सं. 02/2019

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व), टिब्बी जिला हनुमानगढ।

––प्रार्थी

बनाम

श्री लाभ सिंह, गुलाबसिंह, गुरबचन सिंह पि0 गुरनामसिंह कौम जटसिख निवासी बेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अप्रार्थी

रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 232 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 82 व 88(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–1. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक राज्य पक्ष की ओर से।
2. श्री वतनदीप सिंह मान अभिभाषक अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

दिनांक :–30.07.2025

तहसीलदार(राजस्व), टिब्बी द्वारा यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि चक 650 आर.डी के प०नं0 229/311 (84) 17/0.253 है० महरी की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि जो वर्ष 1965 से पूर्व जोहड़ पायतन दर्ज रिकार्ड थी, जिसे बिना किसी सक्षम स्वीकृति के मुमकिन में दर्ज करवाकर अप्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी/एडीएम हनुमानगढ से पुख्ता आंवटन करवाकर नामान्तरकरण संख्या 59 दिनांक 08.02.1983 दर्ज हुआ है एवं नामान्तरकरण संख्या 59 दिनांक 08.02.1983 से खातेदारी करवाली गई जिसे निम्ना आधारों पर उपरोक्त भूमि को खातेदारी निरस्त करवाकर पूर्व की रिथति अनुसार करवाने बाबत रेफरेन्स प्रार्थना एक दर विचारार्थ प्रस्तुत है। चक 650 आरडी के पठनं० 229/311 (84) 17ध्0.253 है० जो पूर्व में रिकार्ड, जोहरु पायतन के रूप में दर्ज थी। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 तक में अप्राधर्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि जोहड़ पाथतन की होते हुए भी उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ ने गुरनामसिंह वल्द संतासिंह कौम जटसिख सा० बेहरवाला कलां को आवंटन कर दी जो वर्तमान में भी अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है, जो नियम विरुद्ध है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 में भी इस तरह के प्रकरणों में भूमि की किस्म परिवर्तन को अवैद्य माना है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की बारा 16 (3) के अनुसार मैं मु. जोहड़ पावतन की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदत नहीं किये जा सकते। विधि विरूद्ध पारित बोई भी आदेश स्वतः ही शून्य होता है। इसलिए उसका रेफरेन्स करने की कोई मियाद नहीं है। विधि विरुद्ध आदेश को कभी भी निरस्त करवाया जा सकता है। अतः भूमिधारी की हैसियत से यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 650 आर.डी लाभसिंह गुलाबसिंह गुरबचनसिंह पि० गुरनामसिंह कौम जटसिख निवासी बहरवाला कला की कुल 0.271 है० भूमि से संबंधित आवटन जो दिनाक 08.02.1983 को हुआ है तथा अनुप्रत्तागिक नानान्तरणकरण संख्या 59 अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज हुआ है को खारिज करवाने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में भिजवाने का निवेदन किया।

30

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

इस न्यायालय के रैफरेन्स प्रकरण संख्या 02/2016 अनवान स्टेट बनाम लाभसिंह आदि में निर्णय 19.01.2015 द्वारा रैफरेंस खारिज करने पर निर्णय के विरूद्ध तहसीलदार टिब्बी द्वारा पूनर्वालोकन प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.12.2016 द्वारा पूर्नावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.01.2015 अपास्त कर रैफरेन्स पुनः दर्ज रजिस्टर करने का आदेश किया गया। तत्पश्चात् रैफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान की तलबी की गई। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये ।

बहस उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान रैफरेन्स के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि चक 650 आर.डी. के प०नं० 229/311 (84) 17/0.253 है० नहरी की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि जो वर्ष 1955 से पूर्व जोहड़ पायतन दर्ज रिकार्ड थी. जिसे बिना किसी सक्षम स्वीकृति के मुमकिन में दर्ज करवाकर अप्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी/एडीएम हनुमानगढ से पुख्ता आंवटन करवाकर नामान्तरकरण संख्या 59 दिनाक 08.02.1983 दर्ज हुआ है एवं नामान्तरकरण संख्या 53 दिनाक 08.02 1983 से खातेदारी करवाली गई जिसे निम्न आधारों पर उपरोक्त भूमि को खातेदारी निरस्त करवाकर पूर्व की स्थिति अनुसार करवाने बाबत प्रस्तुत है। चक 650 आरडी के प.न. 229/311 (84) 17/0.253 है० जो पूर्व में रिकार्ड जोहड़ पायतन के रूप में दर्ज थी। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 तक में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि जोहड़ पायतन की होते हुए भी उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ ने गुरनामसिह पल्द सतासिह कौम जटसिख सा० बेहरवाला कला को आवंटन कर दी जो वर्तमान में भी अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है. जो नियम विरूद्ध है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1538/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनाक 02.08.2004 में भी इस तरह के प्रकरणों में भूमि की किस्म परिवर्तन को अवैद्य माना है कि राजस्थान काश्तकारो अधिनियम 1955 की धारा 16(3) के अनुसार गै. मु जोहड पायतन की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते। विधि विरुद्ध पारित आदेश स्वतः ही शून्य होता है। इसलिए उसका रेफरेन्स करने की कोई मियाद नहीं है। विधि विरुद्ध आदेश को कभी भी निरस्त करवाया जा सकता है। अतः आंवटन को निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवायें जाने हेतु निर्देश दिये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किये कि चक 650 आर डी के प0नं0 229/311 (84) 17/0.253 है० की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि जिसे वर्ष 1955 से पूर्व जोहड़ पायतन के रिकार्ड होना अंकित किया है जो कथन राजस्थान राज्य द्वारा बिना किसी आधार एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अंकित किये गये है। जिसका विधि अनुसार समस्त तथ्यों, दस्तावेजों की जांच कर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण के पिता गुरनामसिंह को आवंटन किया गया था न कि हम प्रार्थीगण को कभी भी आराजी का आंवटन किया गया है। आंवटन के दिन से हम अप्रार्थीगण उक्त आंवटित आराजी पर हम अप्रार्थीगण के पिता का कब्जा और उसके फौत होने से आज तक हम अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है और हम अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि की नियमानुसार खातेदारी प्रदान की जा चुकी है। जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। ऐसी स्थिति में राज्य पक्ष की ओर से उक्त रेफरेन्स प्रस्तुत किये जाने की कोई विधिक अधिकारिता नहीं है। राज्य पक्ष की ओर से आंवटन आदेश व खातेदारी दिये जाने के आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील अथवा रिवीजन पेश की जानी चाहिये थी जो आज तक किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिए रैफरेन्स अविधिक रूप से प्रस्तुत किया गया है जो काबिल खारिजी है। उक्त रकबा अप्रार्थीगण के पिता गुरनामसिंह को आंवटित कृषि भूमि जोहड़ पायतन के रूप में दर्ज होने का कथन अस्वीकार किया तथा यह भी कथन किया कि उक्त आराजी सक्षम अधिकारी द्वारा आंवटित की गई है और इस भूमि पर अप्रार्थीगण को खातेदारी दी जा चुकी है. जिस पर अप्रार्थीगण का

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

कब्जा चला आ रहा है। माननीय उच्च न्यायायलय को दिये गये आदेश अब्दुल रहतान बनाम स्टेट का हवाला दिया गया है यह इस क्षेत्र पर लागू नहीं होती क्योंकि जो भूमि अप्रार्थीगण को आंवटित की गई है। वह गांव से 1–2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस भूमि में ना तो कोई गांव आबाद है तथा ना ही इस भूमि में कोई रास्ते की सुविधा है। यह भूमि गांव से 1–2 किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण इसमें जोहड़ नहीं है. जोहड़ पायतन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में गलत है तथा इस भूमि पर कभी जोहड पायतन नहीं रहा है, न ही इस भूमि के सिवाय हम अप्रार्थीगण के पास इस भूमि के अलावा कोई भूमि है तथा ना ही पुराने रेट पर अब कोई भूमि मिलने की संभावना है। अगर राज्य सरकार हमारी यह भूमि ले लेती है तो इसके बदले में हमे भूमि देकर ही ले सकती है। जब तक राज्य सरकार इस भूमि के बदलें में हमें कोई भूमि नहीं देती है तब तक राज्य सरकार हमें इस भूमि से बेदखल न करे। गांव बेरवाला में पहले से ही एक जोहड़ बना हुआ है। उक्त कृषि भूमि की पानी की बारी बंधी हुई है तथा यह नहरी क्षेत्र होने के कारण भी इसमें जोहड़ बनाने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। भाखड़ा प्रोजेक्ट नियमों के तहत जोहड़ पायतन 4 गुणा कीमत पर आंवटन योग्य है। इसलिए रेफरेन्स आधारहीन व कानून में स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत पेश किया है. जो पृथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है। राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा प्रोजक्ट में राजकीय भूमि का आंवटन एव विक्रय) नियम 1955 के नियम 19 के तहत ऐसी भूमि का आवंटन किया जा सकता है। प्रार्थीगण के पूर्वज से उपखण्ड अधिकारी द्वारा 4 गुणा अधिक राशि लेकर भूमि का आंवटन किया गया है। जिस पर पहले प्रार्थीगण के पिता, अब प्रार्थीगण का आवंटन के समय से आज तक कब्जा चला आ रहा है। ऐसे आंवटन पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 लागू नहीं होती। इस संबंध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 07.04.2010 को अनयानी प्रकरण कृष्णलाल वगैरह बनाम स्टेट जॉफ राजस्थान में उपरोक्त सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है जो आर आर डी 2010 के पेज न० 340 पर दर्ज है। राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स विधि अनुरूप नहीं होने के कारण काबिल खारिजी है और मियाद बाहर है। मियाद के संबंध में भी राज्य पक्ष की ओर से कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। कृषि भूमि का आवंटन नियमानुसार किया गया है। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 21.10.2011 को अनवानी प्रकरण स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम जाफर व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है जो आर०आर०डी० 2012 के पेज नं० 131 पर दर्ज है तथा इसी प्रकार दिनांक 08.12.2011 को अनवानी प्रकरण स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम एल०आर० ऑफ रामज में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है जो आरआर.डी. 212 के पेज नं0 231 पर दर्ज है। अन्त में रेफरेन्स खारिज किये जाने का कथन किया। अन्त में प्रार्थना पत्र / रैफरेन्स खारिज किये जाने का कथन किया । बहस के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का प्रकरण संख्या 4637/16 सरकार बनाम गुरदेव सिंह निर्णय दिनांक 09.02.2018 एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का प्रकरण संख्या 4601/16 सरकार बनाम सन्तोष कुमारी निर्णय दिनांक 23.08.2018 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया:–

1 प्रश्नगत आराजी चक 650 आर.डी. के प०नं० 229/311 (84) 17/0.253 है० भूमि गुरनामसिंह पुत्र सन्ता सिंह को आवंटित हुई व उसका इन्तकाल सं. 59 दिनांक 08.02.2023 दर्ज हुआ, परचा खतोनी राजस्थान कोलोनाईजेशन विभाग के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गुरनामसिंह पुत्र सन्ता सिंह को आवंटन से पूर्व यह भूमि रिकार्ड में जोहड़ के रूप में दर्ज थी। मा0. उच्च न्यायालय द्वारा डीबी सिविल रिट सं0 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.8.2004 के बिन्दु सं. 1 व 4 के अनुसार नाला ,नदी, तालाब आदि भूमियां यदि आवंटन हो गयी हैं और उन पर खातेदारी अधिकार संबंधित व्यक्तियों को प्राप्त हो चुके हैं तो भी उनको उनके मूल स्वरूप में लाने के लिए राज्य सरकार को

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

पाबन्द किया गया है। ऐसी भूमियों में यदि कोई बदलाव जैसे गै0मु0 जोहड, तालाब, नाला आदि को हटाकर संबंधित व्यक्तियों को आवंटन किया गया है तो वह विधि विरूद्ध है। इस संबंध में राज्य सरकार व राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा ऐसी भूमियों पर दिये गये खातेदारी अधिकारों को जरिये रेफरेंस खारिज करवाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये हुए हैं। ऐसी स्थिति में जोहड की भूमि जो अप्रार्थी को आवंटन होकर वर्तमान रिकार्ड में अप्रार्थीया के नाम खातेदारी दर्ज है को मा. उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.8.2004 की पालना में उसके मूल स्वरूप में लाना उचित होगा।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी (तहसीलदार टिब्बी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि चक 650 आर.डी. के प०नं० 229/311 (84) 17/0.253 है० जो अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है उसको खातेदारी से निरस्त करवाकर पुनः आराजीराज जोहड दर्ज करवाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत करें। निर्णय की दो प्रतियों सहित इस न्यायालय की मूल पत्रावली तहसीलदार टिब्बी को जरिये पत्र प्रेषित की जावे। इस न्यायालय से पत्रावली नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.) सत्यमेव जयते